उत्तर प्रदेश सरकार

पशुपालन विभाग

विविध

१६ जनवरी, १९६५ ई०

सं० ८११५/१२-ई--१४४-६३--उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९६४) की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसका पूर्व प्रकाशन उपरोक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (३) के अपेक्षानुसार विज्ञप्ति संख्या २९४१/१२-ई--१४४-६३, दिनांक १७ नवम्बर, १९६४ के साथ किया गया था :—

उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली, १९६४

धारा २०

१—संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ—(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली, १९६४ कहलायेगी।

(२) यह उन क्षेत्रों पर लागू होगी जिन पर उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६४) की धारा १ की उपधारा (३) के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हों।

धारा २०

२—परिभाषाएं—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस नियमावली में—

(१) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ से है,

(२) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(३) "धारा-२" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है, तथा

(४) "प्रतिनिधि" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन गोशाला के न्यासियों द्वारा निर्वाचित अथवा नामांकित व्यक्ति से है।

धारा ३ (२) तथा धारा २० (२) (क)

३—संघ तथा उसका संघटन—(१) संघ में सभापति, उप-सभापति, सचिव, संयुक्त सचिव तथा कोषाध्यक्ष सहित तीस सदस्य होंगे।

(२) संघ के सदस्य राज्य की गोशालाओं के प्रतिनिधियों द्वारा अपने में से निम्नलिखित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे, अर्थात्—

(१) प्रदेश गोशाला रजिस्टर के तैयार हो जाने के तीन महीने के भीतर निबन्धक गोशालाओं के प्रत्येक न्यासी को बैठक के दिनांक से कम से कम २१ दिन पूर्व डाक प्रमाणित एक नोटिस भेजेगा, जिसमें संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिये बैठक का दिनांक, स्थान तथा समय उल्लिखित होगा।

(२) पशुपालन निदेशक अथवा उसकी अनुपस्थिति में निबन्धक पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिये बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(३) प्रतिनिधियों की कुल संख्या के तीन चौथाई प्रतिनिधि बैठक की गणपूर्ति करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में गणपूर्ति (quorum) पूरी न हो तो, यथास्थिति, निबन्धक अथवा सभापति किसी अन्य दिनांक के लिये बैठक स्थगित कर सकता है और ऐसी बैठक का नोटिस उसी रीति से जारी किया जायगा जैसा कि खंड (१) में नियत है, किन्तु स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी,

(४) समस्त मत प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं ऐसी रीति से दिये जायेंगे, जो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी अवधारित करे, तथा

(५) प्रत्येक सदस्य अथवा पदाधिकारी का निर्वाचन बहुमत से होगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(३) संघ का सभापति, पदाधिकारी तथा अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये सदस्य अथवा पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल, यथास्थिति ऐसे सदस्य या पदाधिकारी के, जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ हो, शेष कार्यकाल के लिये होगा।

(४) (१) संघ के सभापति, पदाधिकारियों तथा अन्य सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यथासम्भव दो महीने के भीतर पूरा कर लिया जायगा।

(२) इस नियमावली में अन्यत्र किसी विपरीत बात के होते हुये भी, संघ का कार्यकाल निबंधक द्वारा उसका पुनः संघटन होने तक किसी भी अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

४—अन्य कार्य-संचालन के लिये प्रक्रिया—इस नियमावली तथा अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये संघ अपने कार्य-संचालन के लिये प्रक्रिया अवधारित कर सकता है।

५—कार्यवाहियां अभिलिखित की जायेंगी—संघ की बैठक की कार्यवाहियां कार्य-वृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जायेंगी जिस पर बैठक की तत्समय अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति तथा संघ का सचिव हस्ताक्षर करेंगे।

६—न्यासी द्वारा विवरणपत्र प्रस्तुत किया जाना—(१) प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को धारा ४ की उपधारा (१) के अपेक्षानुसार प्रपत्र १ में विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिस पर न्यासी अथवा उसका प्राधिकृत अभिकर्ता हस्ताक्षर करेगा तथा जिसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति दीवानी वाद में वाद-पत्र के सम्बन्ध में नियत रीति से सत्यापित करेगा । धारा ४

(२) यदि निबन्धन के लिये अधिनियम के अधीन निबन्धक को दिये जाने के लिये अपेक्षित विवरण-पत्र का कोई विवरण अधिनियम के अपेक्षानुसार अधूरा अथवा दोषपूर्ण पाया जाय, तो निबन्धक उसे परिशोधन के लिये वापस कर देगा और तब तक उसे निबद्ध अथवा निवेशित नहीं करेगा जब तक कि अधिनियम की सभी अपेक्षायें पूरी न कर दी जायें । जब निबन्धक का यह समाधान हो जाय कि उसके सम्बन्ध में नियत उपबन्धों का यथाविधि पालन कर दिया गया है, तो वह प्रदेश गोशाला रजिस्टर में विवरण-पत्र की प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा और विवरण-पत्र को निवेशित करेगा ।

७—रजिस्टर रखना और प्रमाण-पत्र जारी करना—धारा ७ के अधीन निबन्धक द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर प्रपत्र २ में होगा और निबन्धक, न्यासी अथवा उसके अभिकर्ता को प्रपत्र ३ में निबन्धन का प्रमाण-पत्र देगा । धारा ६ (१)

८—प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां अथवा उसके उद्धरण निबन्धक द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, जिसके साथ केवल एक रुपये का शुल्क हो, दिया जायगा। शुल्क नकद में या तो निबन्धक के कार्यालय में जमा किया जायगा अथवा डाक आदेश (Postal Order) द्वारा भेजा जायगा । धारा ६ (२)

९—गोशाला के विवरणों में परिवर्तन की सूचना दी जायगी—धारा ७ के अधीन सूचना पर हस्ताक्षर करने तथा उसे सत्यापित करने की रीति वही होगी, जो दीवानी वाद में वाद-पत्र के लिये है । धारा ७ (२)

१०—जांच का नोटिस—धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन व्यक्तियों पर तामील किया जाने वाला जांच का नोटिस प्रपत्र ४ में होगा। नोटिस उन अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों समाचार-पत्रों के एक-एक अंक में भी प्रकाशित किया जायगा, जिनका सम्बद्ध क्षेत्रों में अधिक परिचलन हो । धारा ८ (२)

११—शुल्क का भुगतान न करने पर मांग का नोटिस जारी करना—न्यासी द्वारा धारा ९ के अधीन अपेक्षित शुल्क का भुगतान न करने पर निबन्धक न्यासी को प्रपत्र ५ में मांग का नोटिस जारी करेगा । धारा ९

१२—प्राप्तियों तथा व्यय के लेखे गोशालाओं द्वारा प्रपत्र ६ में रक्खे जायेंगे । धारा १० (२)

१३—गोशाला के न्यासी द्वारा रखे गये लेखों की वार्षिक परीक्षा तथा संपरीक्षा ३१ मार्च को वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राज्य सनद प्राप्त फर्म (Firm of Chartered Accountants) द्वारा की जायगी ।

१४—न्यासी द्वारा लेखे का विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जायगा—प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को धारा १० की उपधारा (५) के अपेक्षानुसार लेखे का एक विवरण-पत्र प्रपत्र ७ में प्रस्तुत करेगा । धारा १० (५)

१५—(१) धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन संघ की सिफारिश पर गोशाला का क्षेत्र निश्चित करने के पश्चात्, निदेशक प्रपत्र ८ में एक नोटिस गोशाला के न्यासी को और उस नोटिस की एक प्रति निबन्धक को भेजेगा । धारा ११

(२) धारा ११ की उपधारा (३) के अधीन व्यवसायियों तथा व्यापारियों द्वारा वसूल की गयी समस्त धनराशियों का भुगतान प्रत्येक अर्द्ध वर्ष की समाप्ति के ३० दिन के भीतर उनके क्षेत्रों में कार्य करने वाली गोशालाओं के न्यासियों को किया जायगा ।

(३) उपर्युक्त धारा ११ की उपधारा (३) के अनुसार धनराशि का भुगतान करने वाला कोई व्यापारी या व्यवसायी सम्बद्ध क्षेत्र के गोशाला से २० प्रतिशत की दर से वसूली व्यय पाने का हकदार होगा ।

१६—प्रत्येक व्यवसायी तथा व्यापारी सम्बद्ध जिले के जिला पशुधन अधिकारी को वसूल की गई धनराशियों का अर्द्ध वार्षिक विवरण-पत्र प्रपत्र ९ में प्रत्येक अर्द्ध वर्ष की समाप्ति के ३० दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा । धारा १२

१७—निबन्धक द्वारा नोटिस का जारी किया जाना—धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन गोशाला के न्यासी द्वारा व्यापारी अथवा व्यवसायी के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर निबन्धक, व्यवसायी द्वारा न्यासी को देय धनराशि सुनिश्चित करने के लिये प्रपत्र १० में नोटिस जारी कर सकता है । धारा १३ (१)

प्रपत्र १

[नियम ६ (१)]

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ४ के अधीन गोशालाओं के निबन्धन का विवरण–पत्र

गोशाला का नाम और पता	गोशाला की स्थापना का दिनांक तथा उसे स्थापित करने की रीति	गोशाला के न्यासी का नाम और पता और यदि न्यासी व्यक्तियों का कोई समुदाय हो तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम व पते	न्यासी का उत्तराधिकारी होने की रीति	गोशाला की सम्पत्ति का विवरण	उस वर्ष के, जिसमें विवरण–पत्र प्रस्तुत किया जाय, ठीक पूर्व तीन वर्षों में गोशाला की सकल वार्षिक आय, यदि कोई हो	उक्त आय का स्रोत	स्तम्भ ६ में अभिदिष्ट अवधि में यदि गोशाला के सम्बन्ध में कोई व्यय किया गया हो तो वह व्यय	ऐसे अन्य विवरण, जो नियत किये जायें
१	२	३	४	५	६	७	८	९

टिप्पणी––(१) विवरण–पत्र पर समस्त न्यासियों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा, जो तदर्थ विशेष रूप से प्राधिकृत हों, हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(२) विवरण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नियम ६ (२) के अधीन नियत रीति से उसे सत्यापित करेगा ।

प्रपत्र २

(नियम ७)

प्रदेश गोशाला रजिस्टर

गोशाला का नाम तथा पता...

दिनांक	क्रम–संख्या	न्यासी का नाम तथा पता	न्यासी–पद का उत्तराधिकारी होने की रीति	सम्पत्ति का ब्यौरा					
				अचल				चल	
								विनिधोजनों के विवरण	
				भूमि	मूल्य	भवन	मूल्य	प्रतिभूति निक्षेप में	नकद में
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

चल वस्तुओं, उपकरणों आदि का मूल्य	कुल मूल्य	उस वर्ष के, जिसमें ऐसी अवधि की आय, जो ऐसे गोशाला की स्थापना के दिनांक से समाप्त हो गई हो, पूर्व तीन वर्षों की सकल आय	आय का स्रोत	पिछले तीन वर्षों का वार्षिक व्यय	कोई अन्य विवरण जो नियम द्वारा नियत किया गया हो	क्या निवेशित किया गया अथवा अभि–लिखित किया गया	अभ्यु–क्ति	निबन्धक के हस्ताक्षर
११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९

प्रपत्र ३

(नियम ७)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ के अधीन निबन्धन का प्रमाण-पत्र

कार्यालय, गोशाला निबन्धक, उत्तर प्रदेश

के विषय में :

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ५ के अधीन उपर्युक्त गोशाला के सम्बन्ध में विवरण पत्र निवेशित कर दिया गया है और मेरे कार्यालय में आज निबद्ध कर दिया गया है और यह कि उक्त गोशाला अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यथाविधि निबद्ध किया गया है।

आज.................दिनांक........................उन्नीस सौ..................

दिनांक ....

मुहर

गोशाला निबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र ४

(नियम १०)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ८ की उपधारा (२) के अधीन जांच का नोटिस

सेवा,

चूंकि मुझे, आपकी गोशाला की असंतोषजनक दशा के बारे में विश्वास करने का कारण है अथवा मुझे आपकी गोशाला की असंतोषजनक दशा के बारे में शिकायत मिली है, अतः आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप या तो स्वयं अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष निम्नलिखित स्थान, दिनांक तथा समय पर निरीक्षण के लिये निम्नलिखित संगत पत्रजात के साथ उपस्थित हों

सुनवाई का स्थान—————————

दिनांक—————————

समय—————————

संगत पत्रजात जो प्रस्तुत किये जायें:—

१—गोशाला से सम्बद्ध सम्पत्ति का ब्यौरा,

२—गोशाला के न्यासी का नाम और पता,

३—गोशाला के न्यासी-पद का उत्तराधिकारी होने की रीति,

४—गोशाला की आय तथा व्यय, और

५—गोशाला की आय का स्रोत

दिनांक—————

गोशाला निबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र ५

(नियम ११)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ९ के अधीन मांग का नोटिस

सेवा में,

—————————

—————————

—————————

कृपया यह सूचना लें कि आपने————————————अवधि के लिय उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ९ के अधीन भुगतान किये जाने के लिये अपेक्षित शुल्क जमा नहीं किया है।

२—अतएव, आपको आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक————————तक उसका भुगतान या तो नकद में अथवा गोशाला निबन्धक के प्रति बैंक ड्राफ्ट या क्रास चेक द्वारा कर दें।

दिनांक——————————१९६

गोशाला निबन्धक,
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र ६

(नियम १२)

प्राप्ति				व्यय				
माह एवं दिनांक	प्राप्ति की पुस्तिका तथा क्रम-संख्या	प्राप्ति के विवरण (प्राप्ति के प्रत्येक मद के प्रकार और स्रोत का पूरा ब्योरा दिया जाना चाहिये)	धनराशि	माह तथा दिनांक	वाउचर की संख्या	भुगतान का धन-विवरण (भुगतान के प्रकार का पूरा ब्योरा तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था का नाम जिसे भुगतान किया जाना चाहिये)	धनराशि	शेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९

प्रपत्र ७

(नियम १४)

आय तथा व्यय का प्रपत्र

गोशाला का नाम————

स्थापना का दिनांक————

स्थान————

वर्ष १९६...–१९६ के लेखों का विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	प्राप्ति	धनराशि (रुपया)	क्रम-संख्या	व्यय	धनराशि (रुपया)
१	वृत्ति दान उपहार अभिदान आदि		१	लगान किराया कर आदि	
२	दूध की बिक्री		२	चारा, पशुधन, उपकरण आदि का क्रय	
३	पशुधन तथा खाद की बिक्री		३	अधिष्ठान तथा विविध व्यय	
४	लगान/किराया, राजस्व, उपज की बिक्री		४	आकस्मिक	
	योग ..			योग ...	

प्रपत्र ८

[नियम १५ (१)]

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा ११ के अधीन क्षेत्र निश्चित करना

सेवा में,

————————

————————

————————

आपकी गोशाला का क्षेत्र निम्न प्रकार निश्चित किया जाता है और उसकी सीमायें निम्नलिखित हैं :—

उत्तर————

दक्षिण————

पूर्व————

पश्चिम————

पशुपालन निदेशक,

प्रपत्र ९

(नियम १६)

विवरण-पत्र, जिसमें धारा १२ के अधीन वर्ष.........के प्रथम तथा द्वितीय छमाही में व्यवसायी तथा व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से गोशाला के नाम में वसूल की गई धनराशि तथा अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन के लिये वसूल की गई धनराशियां भी दी गई हैं।

क्रम-संख्या	वसूल की गयी धन-राशि का विवरण	वर्ष की प्रथम छमाही						वर्ष की द्वितीय छमाही					
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४

जिला पशुधन अधिकारी.........को सूचनार्थ प्रेषित,

दिनांक.........१९६ ई०

व्यवसायी के हस्ताक्षर और पूरा पता।

प्रपत्र १०

(नियम १७)

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा १३ (१) के अधीन धर्मार्थ उद्ग्रहण का भुगतान करने के लिये व्यवसायियों को नोटिस

नोटिस

सेवा में,

....

....

....

चूंकि मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि आप अपने ग्राहकों से धर्मार्थ उद्ग्रहण (धर्मादा, पुण्यशाला, लगा) कर रहे हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, १९६४ की धारा १३ (१) के अपेक्षानुसार..............नामक अपने क्षेत्र की गोशाला को उक्त उद्ग्रहण का जानबूझ कर भुगतान नहीं कर रहे हैं और ऐसा विश्वास किया जाता है कि आपके पास पर्याप्त धनराशि है। अतएव, आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप या तो स्वयं अथवा प्राधिकृत अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष निम्नलिखित स्थान, दिनांक और समय पर निरीक्षण के लिए निम्नलिखित संगत पत्रजात के साथ उपस्थित हों :—

सुनवाई का स्थान........

दिनांक..........

समय........

संगत पत्रजात, जो प्रस्तुत किये जायें..........

(क) वर्ष या वर्षों की लेखा-पुस्तिका

गोशाला नियन्त्रक,
उत्तर प्रदेश।

(मुहर)

दिनांक........

पी० एस० यू० पी०—६ जनरल (एग्री०)—१९६५—२५०